नम्बर व अहकाम की तामील

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :– 03.01.2025

मिसल संख्या :– 153/2023

उनवानी दावाः

रामदेव पुत्र मोडू जाति रेगर उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
–वादी–

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र मोडू जाति रेगर उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. राजेन्द्र पुत्र मोडू जाति रेगर उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोक राज0

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–
श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता वादी

श्री रामनिवास तुनगारिया
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 2

दावा तकासमा आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। वाद के तथ्य इस प्रकार है कि पत्रावली माननीय न्यायालय आर.ए.ए टोंक से कमांक 281 दिनांक 18.12.2024 प्राप्त हुआ जिसमें न्यायालय हाजा के निर्णय प्राथमिक डिकी दिनांक 25.06.2024 यथावत रखा गया।

प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री आदेश दिनांक 25.06.2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली मे बाद बहस पारित किया गया था। पारित आदेश की पालना में तहसीलदार देवली से कुर्रेजात रिपोर्ट कमांकः– भू. अ./2446 दिनांक 30.07.2024 से प्राप्त हुई।

कुर्रेजात रिपोर्ट को अधिवक्ता उभयपक्ष से अवलोकन करवाया गया।

अधिवक्ता उभयपक्ष ने बहस की प्रार्थना की, जिसे स्वीकार कर पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी बहस में कुर्रेजात रिपोर्ट को सही बताया और अन्तिम डिकी जारी करने की प्रार्थना की।

कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट कमांकः– भू. अ./2446 दिनांक 30.07.2024 का अवलोकन किया। तहसीलदार देवली द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किये गये है।

अतः जमाबंदी सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 1199 ख. नं. 1162 रकबा 0.81 है0 व ख. नं. 1163 रकबा 0.61 है0 वाके ग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवली तहसील देवली जिला टोंक के विभाजन हेतु, तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन

3.1.25

प्रस्ताव अनुसार दावा स्वीकार किया जाना उचित होने से दावा स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार देवली की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा खाता संख्या 1199 ग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवली तहसील देवली में हिस्सा निम्नानुसार रहेगाः—

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
1.	रामेदव पुत्र मोडू हिस्सा पूर्ण जाति रेगर सा. देह खातेदार राहिन हि. पूर्ण एस.बी.आई शाखा देवली नक्शा में हरे रंग से दर्शित योग	1162/1	0.52	बा. 1	4.16
		1163/1	0.3850	बा. 1	3.08
		किता–2	0.9050	–	7.24
2.	महेन्द्र राजेन्द्र पुत्र मोडू हिस्सा पूर्ण जाति रेगर सा. देह खातेदार राहिन हि. पूर्ण एस. बी.आई शाखा देवली नक्शा में लाल रंग से दर्शित	1162/2	0.26	बा. 1	2.08
		1163/2	0.1925	बा. 1	1.54
		किता–2	0.4545	–	3.62
3	शामलात	1162/3	0.0150	बा. 1	0.12
		1163/3	0.0325	बा. 1	0.26
		1162/4	0.0150	बा. 1	0.12
		किता–3	0.0625	–	0.50

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीया के उक्तानुसार हिस्से की भूमि की हद तक की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करे तथा वादीया के कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करे। राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति वाद की पालना तक बनाये रखे। तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न रहेगी। तदनुसार अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 03.01.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

अंतिम डिक्री

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी..मुकाम
देवली व अलजाम दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक ....

उनवानी दावाः

रामदेव पुत्र मोडू जाति रेगर उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
–वादी–

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र मोडू जाति रेगर उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. राजेन्द्र पुत्र मोडू जाति रेगर उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोक राज0

–प्रतिवादीगण–

दावा तकासमा आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 153 सन् 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री आलोक कुमार शर्मा अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्री रामनिवास तुनगारिया अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि...

आदेश

जमाबंदी सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 1199 ख. नं. 1162 रकबा 0.81 है0 व ख. नं. 1163 रकबा 0.61 है0 वाके ग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवली तहसील देवली जिला टोंक के विभाजन हेतु, तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा स्वीकार किया जाना उचित होने से दावा स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार देवली की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा खाता संख्या 1199 ग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवली तहसील देवली में हिस्सा निम्नानुसार **रहेगाः–**

क. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
1.	रामेदव पुत्र मोडू हिस्सा पूर्ण जाति रेगर सा. देह खातेदार राहिन हि. पूर्ण एस.बी.आई शाखा देवली नक्शा में हरे रंग से दर्शित	1162 / 1	0.52	बा. 1	4.16
		1163 / 1	0.3850	बा. 1	3.08
	योग	किता–2	0.9050	--	7.24
2.		1162 / 2	0.26	बा. 1	2.08

3.1.25

	महेन्द्र राजेन्द्र पुत्र मोडू हिस्सा पूर्ण जाति रेगर सा. देह खातेदार राहिन हि. पूर्ण एस. बी.आई शाखा देवली नक्शा में लाल रंग से दर्शित	1163 / 2	0.1925	बा. 1	1.54
		किता–2	0.4545	–	3.62
3	शामलात	1162 / 3	0.0150	बा. 1	0.12
		1163 / 3	0.0325	बा. 1	0.26
		1162 / 4	0.0150	बा. 1	0.12
		किता–3	0.0625	–	0.50

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीया के उक्तानुसार हिस्से की भूमि की हद तक की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करे तथा वादीया के कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करे। राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति वाद की पालना तक बनाये रखे। तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न रहेगी।

निजी.................................मुवलिक.................................बाबत् ....
...............................खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।
बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 03 माह 01 सन् 2025 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....

ओहदा ....

मुहर

मुद्दई	रू	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताने वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।